राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 396/2010/अलवर

मैसर्स ज्योति सीमेन्ट प्रा0लि0, बहरोड़ .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत प्रथम, भिवाडी, अलवर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित नियम 35 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.02.2009 के जरिये कायम की गयी मांग राशि के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2008 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा संधारित बिल बुक की जांच पर पाया गया कि बिल नं0 1 से 100 तक की बिल बुक में Under Composition Scheme लिखा था, जबकि बिल नं0 101 से 111 तक जारी बिलों में वैट वसूल किया गया था। करापवंचन का संदेह होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल बुकों को अभिग्रहीत किया गया। बिलों की जांच पर पाया कि सीमेन्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री दूसरी सीरीज के अनियमित बिल बुक से किया जाना पाया गया। अनियमित बिल बुकों से बिक्री मानते हुए कर, ब्याज आरोपित किया गया। जिसके विरूद्ध अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये था, अतः उन्होंने अपीलीय आदेश अपास्त कर कर बोर्ड के समक्ष उठाये गये मुद्दो पर गुणावगुण पर निर्णय करने की प्रार्थना की।

12/03/18

लगातार.....2

4. प्रकरण में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 23.09.2011 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिया है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं है, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "निष्प्रभावी" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहा. वाणि. कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
(iii) सीटीओ, एई बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) सीटीओ बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं साथ ही उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 23.09.2011 को कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आयुक्त बनाम मोहित ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण (25 टैक्स अपडेट 59) में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है जिसमें प्रतिप्रेषण सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने पर कर बोर्ड द्वारा अपील निष्प्रभावी माने जाने को विधिसम्मत माना है। उक्त उल्लिखित निर्णय का संदर्भित निर्णयांश निम्न प्रकार है :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

7. परिणामतः प्रस्तुत अपील "निष्प्रभावी" होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

12/03/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य